रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2019/ कार्तिक 10, 1941
No. 386] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019/ KARTIKA 10, 1941

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद**, 30** अक्तूबर**, 2019**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/13/164/2019.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी और 42ई तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 2(1)(च), 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (बीबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

उद्देश्यः केन्द्र सरकार द्वारा, *अन्य बातों के साथ-साथ* मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के लिए विदेशी ईक्विटी निवेश की उच्चतम सीमा को हटाते हुए जारी किये गये भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2019 के द्वारा भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में किये गये संशोधन के अनुसरण में इन विनियमों का उद्देश्य मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के लिए लागू विभिन्न विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों का संशोधन करना है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

1.1 ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019 कहलाएँगे।

1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय I

1. **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 का संशोधन**
   क) विनियम 21 – भारतीय स्वामित्वप्राप्त और भारतीय नियंत्रण को छोड़ दिया जाएगा।
   ख) विनियम 21 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“21क – विदेशी निवेश

प्रत्येक आवेदक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी है और अधिकांश विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता से युक्त है, अनुसूची – एए में दिये गये रूप में एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।”

ग) विनियम 58 का उप-विनियम (4) छोड़ दिया जाएगा।

घ) अनुसूची I – फार्म ओ में वचनपत्र की क्रम सं. 13 को छोड़ दिया जाएगा।

ङ) फार्म टीबी के भाग I के अंतर्गत क्रम सं. 13 को छोड़ दिया जाएगा।

अध्याय II

2. **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 का संशोधन**

क) विनियम 8 के उप-विनियम (क) का खंड (iv) छोड़ दिया जाएगा।

ख) विनियम 8 के उप-विनियम (ख) के खंड (i) में शब्द “किसी भी समय बीमा वेब संग्राहक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी का उनचास प्रतिशत अथवा” छोड़ दिये जाएँगे।

ग) विनियम 8 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“8क – विदेशी निवेश

प्रत्येक आवेदक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी है तथा अधिकांश विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता से युक्त है, अनुसूची – एए में दिये गये रूप में एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।"

घ) विनियम 41 के उप-विनियम (iii) और (v) छोड़ दिये जाएँगे।

ङ) अनुसूची XII में फार्म एए के खंड 1(ख) में शब्द “भारतीय स्वामित्वप्राप्त और नियंत्रित का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए” छोड़ दिये जाएँगे।

च) अनुसूची XII – फार्म एडी की क्रम सं. 16 को छोड़ दिया जाएगा।

अध्याय III

3. **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 का संशोधन**

क) विनियम 6 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“6क – विदेशी निवेश

प्रत्येक आवेदक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी है तथा अधिकांश विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता से युक्त है, अनुसूची – एए में दिये गये रूप में एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।”

अध्याय IV

4. **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 का संशोधन**

क) विनियम 8 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“8क – विदेशी निवेश

प्रत्येक आवेदक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी है तथा अधिकांश विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता से युक्त है, अनुसूची – एए में दिये गये रूप में एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।”

अध्याय V

5. **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 का संशोधन**

क) विनियम 4 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"4क – विदेशी निवेश

प्रत्येक आवेदक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी है तथा अधिकांश विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता से युक्त है, अनुसूची – एए में दिये गये रूप में एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।"

अध्याय VI

6. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 का संशोधन

क) विनियम 6 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"6क – विदेशी निवेश

प्रत्येक आवेदक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी है तथा अधिकांश विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता से युक्त है, अनुसूची – एए में दिये गये रूप में एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।"

अनुसूची – एए

बीमा मध्यवर्ती से वचनपत्र जो अधिकांश विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता से युक्त है

मै, ...(व्यक्ति का नाम), ……………………..(बीमा मध्यवर्ती का नाम) का/की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/ प्रधान अधिकारी (पीओ)/ प्रबंध निदेशक निम्नानुसार वचन देता/देती हूँ :-

1. .... (बीमा मध्यवर्ती का नाम) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन एक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित है;
2. …………………… (व्यक्ति का नाम), बीमा मध्यवर्ती के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष अथवा .... (व्यक्ति का नाम) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रधान अधिकारी/ प्रबंध निदेशक (जो लागू न हो उसे काट दें) एक निवासी भारतीय नागरिक हूँ;
3. लाभांश के प्रत्यावर्तन के लिए प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लूँगा/लूँगी;
4. नवीनतम प्रौद्योगिकीगत, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाऊँगा/लाऊँगी;
5. एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल व्ययों के 10% से अधिक, समग्र रूप में लेते हुए संबंधित पक्षकारों को भुगतान (लाभांश को छोड़कर अन्य) नहीं करूँगा/नहीं करूँगी;
6. बोर्ड के अधिकांश निदेशक निवासी भारतीय नागरिक हैं;
7. प्रबंधन के अधिकांश प्रमुख व्यक्ति निवासी भारतीय नागरिक हैं।

प्रधान अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./273/19]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 30th October, 2019

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2019

F.No. IRDAI/ Reg/13/164/2019.—In exercise of the powers conferred by clause (vb) of sub-section 2 of section 114A read with Section 42D and 42E of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and section 2(1)(f), 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely: -

Objective: Pursuant to the amendment to the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 by the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2019 issued by the Central Government, removing, *inter alia,* the cap to foreign equity investment for intermediaries or insurance intermediaries, the objective of these regulations is to amend corresponding provisions of various regulations applicable to intermediaries or insurance intermediaries.

1. Short Title and commencement:

1.1 These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2019.

1.2 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER I

1. **Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018**

a) Regulation 21 - Indian owned and Indian Control shall be omitted.

b) After Regulation 21, the following Regulation shall be inserted, namely: —

"21A – Foreign Investment

Every applicant, who is a company incorporated under the Companies Act, 2013 and has a majority of shareholding of foreign investors, shall furnish an undertaking as given in Schedule – AA."

c) Sub-regulation (4) of Regulation 58 shall be omitted.

d) S. No. 13 of the undertaking in SCHEDULE I – Form O shall be omitted.

e) S. No. 13 under Part I of Form TB shall be omitted.

CHAPTER II

2. **Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017**

a) Clause (iv) of sub-regulation (a) of Regulation 8 shall be omitted.

b) In clause (i) of sub-regulation (b) of Regulation 8, the words "forty-nine per cent of paid-up equity capital of Insurance Web Aggregator at any time or" shall be omitted.

c) After Regulation 8, the following Regulation shall be inserted, namely: —

"8A – Foreign Investment

Every applicant, who is a company incorporated under the Companies Act, 2013 and has a majority of shareholding of foreign investors, shall furnish an undertaking as given in Schedule – AA."

d) Sub-regulation (iii) and (v) of Regulation 41 shall be omitted.

e) In clause 1(b) of Form AA in SCHEDULE XII, the words "for the purposes of determining Indian owned and controlled," shall be omitted.

f) S. No. 16 of SCHEDULE XII – Form AD shall be omitted.

CHAPTER III

3. **Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015**

a) After Regulation 6, the following Regulation shall be inserted, namely: —

“**6A – Foreign Investment**

Every applicant, who is a company incorporated under the Companies Act, 2013 and has a majority of shareholding of foreign investors, shall furnish an undertaking as given in Schedule – AA.”

CHAPTER IV

4. **Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015**

a) After Regulation 8, the following Regulation shall be inserted, namely: —

“**8A – Foreign Investment**

Every applicant, who is a company incorporated under the Companies Act, 2013 and has a majority of shareholding of foreign investors, shall furnish an undertaking as given in Schedule – AA.”

CHAPTER V

5. **Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015**

a) After Regulation 4, the following Regulation shall be inserted, namely: —

“**4A – Foreign Investment**

Every applicant, who is a company incorporated under the Companies Act, 2013 and has a majority of shareholding of foreign investors, shall furnish an undertaking as given in Schedule – AA.”

CHAPTER VI

6. **Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrators – Health Services) Regulations, 2016**

a) After Regulation 6, the following Regulation shall be inserted, namely: —

“**6A – Foreign Investment**

Every applicant, who is a company incorporated under the Companies Act, 2013 and has a majority of shareholding of foreign investors, shall furnish an undertaking as given in Schedule – AA.”

SCHEDULE – AA

Undertaking from an insurance intermediary that has majority shareholding of foreign investors

I, ……. (name of person), Chief Executive Officer (CEO) / Principal Officer (PO) / Managing Director of …. (name of insurance intermediary), undertake the following:

1. ………. (name of insurance intermediary) is incorporated as a limited company under the provisions of the Companies Act, 2013;
2. ……… (name of person), Chairman of the Board of Directors or …… (name of person) Chief Executive Officer/ Principal Officer/ Managing Director of the insurance intermediary (strike out whichever is not applicable) is a resident Indian citizen;
3. shall take prior permission of the Authority for repatriating dividend;
4. shall bring in the latest technological, managerial and other skills;
5. shall not make payments (other than dividend) to related parties taken as a whole, beyond 10% of the total expenses of the company in a financial year;
6. majority of the directors on the Board are resident Indian citizens;
7. majority of Key management persons are resident Indian citizens.

Signature of the PO/ CEO/ Managing Director

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty/273/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.05 15:48:17 +05'30'